

न्यायालय द्वितीय अपरं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव।

उपस्थित- मीनाक्षी सोनकर, उ० प्र० न्यायिक सेवा ।

आपराधिक वाद संख्या-137/19

मु०अ०सं०-142/94

धारा-379 व 411 भा०दं०सं०

थाना-सोहरामऊ, जिला उन्नाव

सरकार

अभियोजन।

बनाम

- | | | |
|--|--|----------------|
| 1. श्रीपाल पुत्र मैकूलोध, उम्र 45 वर्ष | | निवासीगण ग्राम |
| 2. अमरपाल पुत्र नन्हकऊ, उम्र 45 वर्ष | | |
| 3. सुरेश पुत्र रजऊ, उम्र 44 वर्ष | | आशाखेड़ा |
| 4. नरेन्द्र उर्फ बराती लोधी पुत्र बाबूलाल, उम्र 42 वर्ष | | थाना सोहरामऊ |
| 5. कल्लू पुत्र बचनू, उम्र 54 वर्ष | | |
| 6. नरेश पुत्र राजाराम उर्फ रजऊ सिंह, उम्र 46 वर्ष | | जिला उन्नाव। |
| 7. इजहार पुत्र स्व०यार मोहम्मद, उम्र 78 वर्ष, निवासी ग्राम मकान नं०-344, मोतीनगर, थाना कोतवाली, जिला उन्नाव। | | अभियुक्तगण |

निर्णय

थाना सोहरामऊ की पुलिस द्वारा मु०अ०सं०-142/94 धारा-379 व 411 भा०दं०सं० के प्रकरण में अभियुक्तगण मंगलू, श्रीपाल, अमरपाल, सुरेश, नरेन्द्र उर्फ बराती लोधी, इजहार, शबू, कल्लू, नरेश व भल्लू के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। जिसके आधार पर अभियुक्तगण का विचारण न्यायालय द्वारा किया गया। दौरान विचारण अभियुक्त भल्लू के पत्रावली में उपस्थित न आने के कारण उसको फरार घोषित किया गया तथा अभियुक्तगण मंगलू व शबू की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध विचारण उपशमित किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथनानुसार दि०-14/15.08.94 की रात मैं एस०ओ० चन्द्रेश्वर प्रसाद हमराही कां० 254 रामाश्रय व कां० अनिल कुमार मिश्रा के रात्रि रोडगस्त बनी बार्डर लखनऊ से चिरैया नाला आदि करके वापस थाना जा रहा था कि जैसे ही सोहरामऊ अन्तर्गत नहर कोठी पुलिया के पास सड़क पर ही पहुंचा कि समय करीब 3.40 बजे रात्रि बुद्धीलाल पुत्र मोहब्बत रनर सिचाई विभाग पंचम खण्ड उन्नाव, निधई पुत्र स्व०गंगादीन रैदास साकिनान सोहरामऊ थाना सोहरामऊ व बिल्लेश्वर पुत्र चन्द्रपाल लोध निवासी लोधईखेड़ा दरशावां थाना असोहा (मेठ नहर सिचाई विभाग) पंचम खण्ड उन्नाव, नहर कोठी सोहरामऊ से मेरे पास पुलिया पर दौड़ते पहुंचकर बताए कि मेरी नहर कोठी सोहरामऊ एरिया में चोर घुस आए हैं। लोहे की रखी पुरानी पाइप उठाकर चोरी से ले जाने की आहट मिली है। इस सूचना पर मैं पृच्छतांछ कर ही रहा था कि हसनापुर की तरफ से गस्त करके कां० 108 वशिष्ठ जी पाण्डेय, कां० अनिल कुमार वर्मा आ पहुंचे। जिन्हें भी सूचना से अवगत



करा रहा था कि चिरैया नाला पिकेट ड्यूटी करके कां० 432 दधीच कुमार रस्तोगी व कां० 425 दिनेश कुमार वर्मा ट्रक से पुलिया पर आ पहुंचे। सभी कर्मचारीगण उपरोक्त को सूचना से अवगत कराया तथा उपलब्ध फोर्स व गवाहान की 5-5 की संख्या में दो पार्टी बनाया। पहली पार्टी में मैं एस०ओ० तथा कां० वशिष्ठ पाण्डेय, कां० रामाश्रय, कां० अनिल कुमार मिश्रा तथा गवाह बुद्धीलाल उपरोक्त एवं द्वितीय पार्टी में कां० अनिल कुमार वर्मा, कां० दिनेश कुमार वर्मा, कां० दधीच कुमार रस्तोगी एवं गवाहान निधई व बिल्लेश्वर मुर्करर किए गए। दोनों पार्टियों के सदस्यों को हिकमत अमली से प्रथम पार्टी को मिलाकर गांव जाने वाली कंकरीट सड़क से नहर कोठी की तरफ तथा द्वितीय पार्टी को नहर कोठी की तरफ से मिर्जापुर जाने वाली कंकरीट सड़क की तरफ पहुंचते हुए मुल्जिमान की तलाश कर गिरफ्तारी करेंगे। द्वितीय पार्टी को निर्देशित कर रवाना करके मैं एस०ओ० प्रथम पार्टी को लेकर कानपुर लखनऊ पक्की सड़क से निकले। कंकरीट सड़क जो ग्राम मिर्जापुर की तरफ जाती है, पर छिपते हुए आगे बढ़ा तो सामने 50 गज पर अंधेरे में कुछ व्यक्तियों द्वारा वजनी माल लादे जाने की आवाज सुनाई पड़ी कि दबे पांव अपने को छिपाते हुए ट्रक के पास पहुंचा तो देखा कि दो व्यक्ति ट्रक के ऊपर ढाले में लोहे की पाइप खींच रहे थे तथा तीन व्यक्ति नीचे सड़क पर खड़े होकर एक उसी लोहे की पाइप को ट्रक पर चढ़ा रहे थे कि सूचना मुताबिक पूरी सम्भावना चोरी जानकर हमराहीयान की मदद से पांचों को भागने की कोशिश करते हुए घेर मारक 4.20 बजे प्रातः पकड़ लिया गया। उधर द्वितीय पार्टी द्वारा कन्धे पर एक लोहे की पाइप चुराकर ले जाते दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। दौरान गिरफ्तारी तीन चोर, भल्लू पुत्र बचनू, कल्लू पुत्र बचनू तथा नरेश पुत्र रजऊ ग्राम आशाखेड़ा झाड़ी झंखाड़ एवं अंधेरे का फायदा उठाकर गिरफ्तारी से बच कर भाग निकले। जिन्हें हमराहीयान फोर्स तथा गवाहान ने टार्च की रोशनी में अच्छी तरह पहचाना है। पकड़े गये 7 व्यक्तियों का नाम पता पूंछा तथा तलाशी बकायदा लिया तो ट्रक के ऊपर पाइप खींच कर चढ़ा रहे एक व्यक्ति ने अपना नाम इजहार पुत्र यार मुहम्मद निवासी मकान नं०-344 मोतीनगर थाना कोतवाली उन्नाव चालक मौजूद ट्रक नं०-यू०पी० एक्स/6953, दूसरे ने अपना नाम सबू पुत्र नबू निवासी फतेउल्ला नगर मजरा तरवन थाना कोतवाली उन्नाव। ट्रक पर पाइप चढ़ा रहे तीन व्यक्तियों में से एक ने अपना नाम मंगलू पुत्र महादेव लोध, दूसरे ने श्रीपाल पुत्र मैकू लोध तीसरे ने अमरपाल पुत्र नन्हकऊ रैदास तथा द्वितीय पार्टी द्वारा पकड़े गए दो व्यक्तियों में एक ने अपना नाम सुरेश पुत्र रजऊ लोध दूसरे ने नरेन्द्र उर्फ बराती लोध पुत्र बाबूलाल साकिनान आशाखेड़ा थाना सोहरामऊ उन्नाव बताया। समक्ष गवाहान उपरोक्त अभियुक्तगण की जामातलाशी बकायदा ली गई तो सुरेश के पहने बूसर्ट व बनियान के नीचे 10 अदद लोहा काटने वाली ब्लेड छोटी तथा नरेन्द्र उर्फ बराती लोध के पहने सर्ट बनियान के बीच एक अदद हेक्सा ब्लेड (लोहा काटने वाली) व तीन अदद ब्लेड बड़ी लोहा काटने वाली बरामद हुई तथा उपरोक्त सुरेश व बराती के कब्जे से कन्धे पर लिये एक अदद लोहे

की पाइप 4 होल की लम्बाई करीब 10 फुट ट्रक चालक इजहार व कन्डक्टर सबू के कब्जे से ट्रक में लदा 3 अदद लोहे की पाइप जिसमें 6 इंच होल के दो पाइप लम्बाई 10-10 फुट व 4 होल का एक पाइप लम्बाई 10 फुट तथा अभियुक्त मंगलू, श्रीपाल व अमरपाल के कब्जे से हांथ में पकड़ा एक लोहे का पाइप 4 इंच होल का लम्बाई करीब 20 फुट का बरामद हुआ। अन्य अभियुक्तों की जामातलाशी में अलावा पहिने कपड़ों के कुछ बरामद नहीं हुआ। भागे हुए चोरी की इर्द गिर्द तलाश कराया, नहीं मिले। नहर कोठी के पास खाई पर मुल्जिमानों द्वारा ले जाये जाने वाले लोहे के पाइप 20-20 फुट के 6 इंच होल तथा 4 इंच होल का पड़ा मिला जिसे मुल्जिमान ने बताया कि उक्त पाइप हमलोग ले जा रहे थे, नहीं ले जा सके जिसे भी कब्जा पुलिस में लिया गया तथा ट्रक पर लदाया गया। गवाहान व मुल्जिमान को लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया तो ज्ञात हुआ कि नहर कोठी में जे0ई0 के क्वाटर तथा गार्द क्वाटर के बीच जमीन पर रखे 10 पाइप गायब हैं। जिसके निशान उठने के पड़े हैं। गिरफ्तार शुदा मुल्जिमान ने पूछने पर जुर्म इकबाल करते हुए बताया कि भल्लू और कल्लू कवाड़ी के लालच देने पर हमलोग यहां से पाइप चुराकर ले जा रहे थे। कुछ पाइप भागे मुल्जिमान कहीं छिपा दिए हैं। गवाहान ने भी मौका तथा बरामद लोहे की पाइप पुरानी इस्तेमाली देखकर पहचानकर बताया कि उक्त पाइप हमारे नहर कोठी प्रांगण से उपरोक्त चोर चोरी से ले जा रहे थे। बरामद माल मस्रूका 6 अदद लोहे की पाइप पुरानी इस्तेमाली कीमती करीब 8000/-रु0 तथा ट्रक नं0-यू0पी0 एक्स/6953 जिसके माल मस्रूका ले जाया जा रहा था। कब्जा पुलिस लिया गया। बरामद हेक्सा ब्लेड व लोहा काटने की आरी मुताबिक मुल्जिम सुरेश व बराती अलग-अलग कपड़े में सर्वमुहर कर नमूनामुहर मौके पर बनाया। फर्द मौके पर लिखकर पढ़कर सुनने के बाद अलामात गवाहान, हमराहियान व मुल्जिमान बनवाए जा रहे हैं। फर्द की नकल मुल्जिमानों को दी जा रही है। मुल्जिमान को उनका जुर्म धारा-379 व 411 भा0दं0सं0 बताकर हिरासत पुलिस लिया गया।

फर्द के आधार पर मुकदमा एस0ओ0 चन्द्रेश्वर प्रसाद द्वारा थाना सोहरामऊ पर दिनांक 15.04.98 को समय 7.55 ए0एम0 पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-379 व 411 भा0दं0सं0 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। विवेचक केशवराम तिवारी द्वारा घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा दौरान विवेचना गवाहों के बयान लिये गये। बाद विवेचना, विवेचक द्वारा अभियुक्तगण मंगलू, श्रीपाल, अमरपाल, सुरेश, नरेन्द्र उर्फ बराती लोध, इजहार, शबू, कल्लू, नरेश व भल्लू के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए धारा-379 व 411 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र प्रेषित किया गया जिसपर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

अभियुक्तगण के उपस्थित होने पर धारा 207 दं0प्र0सं0 के अनुपालन में उन्हें अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी।

अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा-379 व 411 भा0दं0सं0 के तहत दिनांक

AA

23.02.98 को विरचित किया गया। जिसमें अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में वादी मुकदमा एस0आई0 चन्द्रेश्वर प्रसाद का बयान पी0डब्लू0-1, कां0 983 विश्वनाथ सोनकर का बयान पी0डब्लू0-2 व बुद्धीलाल का बयान पी0डब्लू0-3 के रूप में लेखबद्ध कराया गया।


अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं0प्र0सं0 दिनांक 28.02.19 को लेखबद्ध किया गया है जिसमें अभियुक्तगण अमरपाल, श्रीपाल, नरेन्द्र उर्फ बराती लोध, कल्लू, नरेश व सुरेश ने घटना को गलत बताया तथा साक्षी पी0डब्लू0-1 चन्द्रेश्वर प्रसाद के बयान को झूठी गवाही दिया जाना कहा तथा साक्षी पी0डब्लू0-2 कां0 विश्वनाथ सोनकर व साक्षी पी0डब्लू0-3 बुद्धीलाल के बयान के सम्बन्ध में कहा कि नहीं मालूम। प्रतिपरीक्षा में कोई सफाई साक्ष्य न प्रस्तुत करते हुए अपने विशेष कथन में यह कहा कि प्रार्थीगण गरीब मजदूर हैं तथा मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं गांव की चुनावी रंजिश को लेकर विरोधी पार्टी ने पुलिस से सांठ गांठ करके मुकदमा दर्ज करा दिया था।

अभियुक्त इजहार ने घटना को गलत बताया तथा गवाहों के बयान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। प्रतिपरीक्षा में कोई सफाई साक्ष्य न प्रस्तुत करते हुए अपने विशेष कथन में यह कहा कि दि0-15.08.94 को समय 4.20 बजे मेरी ट्रक को पुलिस वालों ने रोककर चोरी के पाइप लादकर थाने चलने को कहा। मना करने पर झूठे मुकदमें में चालान कर दिया।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन साक्षी सं0-1 एस0आई0 चन्द्रेश्वर प्रसाद द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए यह कथन किया गया है कि मैं दिनांक 15.08.94 को थाना सोहरामऊ में एस0ओ0 के पद पर तैनात था। दि0-14/15 की रात में कां0 रामासरे व अनिल कुमार मिश्रा के साथ रात्रि गस्त करके बनी बार्डर से चिरैया नाला से होकर थाना वापस जा रहा था। जैसे ही सोहरामऊ नहर कोठी पुलिया के पास सड़क पर करीब साढ़े तीन बजे रात बुद्धीलाल सिचाई कर्मचारी व निधई तथा बिल्लेश्वर कर्मचारी नहर सिचाई विभाग मेरे पास दौड़ते हुए आये और बताया कि नहर कोठी एरिया में चोर घुस आये हैं और लोहे की रखी पुरानी पाइप उठाकर चोरी करने की फिराक में हैं। इस सूचना पर विश्वास करके पूछताछ ही कर रहा था कि हसनापुर की तरफ से कां0 गस्त करते हुए कां0 वशिष्ठ जी पाण्डेय व अनिल कुमार वर्मा आ गये। उन्हें भी सूचना से अवगत करा रहा था कि चिरैया नाली पीकेट ड्यूटी करके कां0 दिनेश कुमार आदि ट्रक से आ गये। सभी कर्मचारियों को सूचना से अवगत कराया और कर्मचारियों तथा गवाहान की पांच-पांच की दो पार्टियाँ बनायी। पहली पार्टी जिसमें मैं था। मिर्जापुर गांव जाने वाली कंकरीट सड़क में नहर कोठी की ओर गये तथश्च दूसरी पार्टी को नहर कोठी की तरफ से जाकर मुल्जिमान को

हिकमत अमली से पकड़े की बात बताकर, अलग-अलग रवाना हुए। जब हमलोग कंकरीट सड़क से मिर्जापुर की तरफ छिपते हुए बैठे तो सामने साड़ी के किनारे एक ट्रक में कुछ सामान लादे जाने की आवाज सुनायी पड़ी। जब छुपकर ट्रक के पास पहुंचा तो देखा कि दो व्यक्ति ट्रक की ऊपर ढाले में लोहे की पाइप खींच रहे थे तथा तीन व्यक्ति नीचे से लोहे की पाइप को ट्रक के ढाले पर चढ़ा रहे थे। हमराहियानों की मदद से घेरकर पांच व्यक्तियों को समय 4.20 बजे पकड़ लिया। उधर दूसरी पार्टी ने कन्धा पर लोहे की पाइप लादे हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। तीन व्यक्ति भल्लू, कल्लू तथा नरेश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले जिन्हें टार्च की रोशनी में हमलोगों ने पहचाना। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर पाइप चढ़ा रहे एक व्यक्ति ने अपना नाम इजहार निवासी मोतीनगर उन्नाव ट्रक चालक बताया। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम सबू निवासी फतेउल्लो नगर मजरा खतरवन कोतवाली उन्नाव ट्रक क्लीनर बताया। ट्रक पर पाइप चढ़ा रहे तीन व्यक्तियों में एक ने अपना नाम मंगलू, दूसरे ने श्रीपाल तथा तीसरे ने अमरपाला साकिनान आशाखेड़ा थाना सोहरामऊ बताया। दूसरी पार्टी द्वारा पकड़े गये दो व्यक्तियों में से एक ने अपना नाम सुरेश तथा दूसरे ने अपना नरेन्द्र उर्फ बराती लोध साकिनान आशाखेड़ा बताया। गवाहान के समक्ष मुल्जिमान की जामातलाशी ली गयी थी। मुल्जिम सुरेश के पहने बुशर्ट व बनियान के नीचे से दस अदद लोहा काटने वाली छोटी ब्लेज तथा नरेश उर्फ बराती लोध के पहने शर्ट, बनियान के बीच में एक अदद हेक्सा ब्लेड व तीन अदद ब्लेड बड़ी तथा दोनों मुल्जिमानों के कब्जे से कन्धों पर लिए एक अदद लोहे की पाइप 4 इंच होल की 10 फिट लम्बी बरामद हुई। ट्रक चालक इजहार व क्लीनर सबू के कब्जे से ट्रक में लदा तीन अदद लोहे की पाइप जिसमें दो पाइप 6 इंची होल के तथा एक पाइप 4 इंच का होल का 10-10 फिट लम्बे बरामद हुए। मुल्जिम मंगलू, श्रीपाल व अमरपाल के कब्जे से हाथ में पकड़ा हुआ एक लोहे की पाइप 4 इंच होल की 20 फिट लम्बी बरामद हुई। भागे हुए अभियुक्तों की तलाश इर्द गिर्द किया, नहीं मिले। नहर कोठी के पास खायी पर से 20-20 फिट लम्बे 6 इंच होल में दो पाइप तथा चार इंच होल का 20 फिट लम्बा एक पाइप भी बरामद हुआ। जो मुल्जिमानो द्वारा ले जाया जा रहा था जिसे कब्जे पुलिस लिया गया तथा ट्रक पर लदाया गया। गवाहान व मुल्जिमान को लेकर मौके पर निरीक्षण किया तो मालूम हुआ कि नहर कोठी में जे0ई0 के क्वाटर तथा गार्ड क्वाटर के बीच जमीन पर रखे 10 पुराने पाइप गायब थे। गवाहान ने बरामद लोहे की पाइप पुरानी इस्तेमाल देखकर पहचान कर बताया कि उक्त पाइप मे मेरा नहर कोठी से चोरे द्वारा ही चुराये जा रहे थे। बरामद दो अदद लोहे के पाइप तथा ट्रक नं0-यू0पी0 एक्स/6952 जिसमें माल मुल्जिमान ले जाया जा रहा था, मुल्जिमान से बरामद हुआ। मुल्जिमान से बरामद औजारों को कपड़ों में रखकर सील मोहर एवं सर्वमोहर कर नमूना मोहर बनाया गया। फर्द मौके पर मैनें तैयार की थी। मैनें तथा हमराहियान तथा गवाहान व मुल्जिमान ने फर्द पर हस्ताक्षर बनाये थे तथा नि0अं0 लगाया था। फर्द की नकल



मुल्जिमानों को दी गयी थी। मूल फर्द शामिल पत्रावली है जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया।

अभियोजन साक्षी सं0-2 कां0 983 विश्वनाथ सोनकर, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि मैं दि0-15.08.94 को थाना सोहरामऊ में कां0 के पद पर तैनात था। उस दिन वादी एस0आई0 चन्द्रेश्वर प्रसाद की लिखित फर्द के आधार पर अपराध सं0-142/94 धारा-379 व 411 बनाम भल्लू आदि चिक सं0-127/94 अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी। जो शामिल पत्रावली है जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया। इस मुकदमा का जी0डी0 में इन्द्राज उसी समय रपट नं0-11 पर कर दिया था। मूल जी0डी0 की कार्बनप्रति शामिल पत्रावली है। मूल जी0डी0 नष्ट हो चुकी है। जिसका प्रमाण पत्र रिकार्ड कीपर एस0पी0 उन्नाव नेमेरे सामने तैयार कर हस्ताक्षरित किया है जिसे शामिल पत्रावली कर रहा हूँ। जिस पर प्रदर्श क-3 डाला गया।

अभियोजन साक्षी सं0-3 बुद्धीलाल द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि दि0-14.08.94 को मैं नहर विभाग में धावक के पद पर कार्यरत था। धावक व हरकारा एक ही पद है। दि0-14/15.08.94 की रात में नहर कोठी सोहरामऊ में लोहे के पाइप चोरी हो गये थे जिसमें कुछ लोग पकड़े गये थे। लेकिन मेरे सामने किसी व्यक्ति से कोई बरामदगी नहीं हुई। दरोगा जी ने एक कागज में मेरे दस्तखत बनवा लिये थे। जिसमें क्या लिखा था मुझे नहीं मालूम। जिस समय की बरामदगी बतायी जा रही है उसके एक दिन पहले मैं डाक लेकर मौरावा गया था। मुल्जिमान हाजिर अदालत श्रीपाल, अमरपाल, सुरेश, नरेन्द्र उर्फ बराती, कल्लू, नरेश, इजहार के पास से मेरे सामने कोई बरामदगी नहीं हुई थी। जिस कागज पर दस्तखत कराये थे वह प्रदर्श क-1 है।

अभियुक्तगण पर आरोप है कि उनके द्वारा दि0-15.08.94 को समय करीब 4.20 बजे सुबह नहर विभाग की 7 लोहे की पाइप, जिसकी कीमत लगभग 8000/-रु0 थी, कि चोरी की तथा 7 लोहे की पाइप चोरी करके ट्रक नं0-यू0पी0 एक्स-6953 पर लादकर ले जाते हुए माल सहित पकड़े गये।

अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण पर उपरोक्त आधारों को साबित करने हेतु साक्षी पी0डब्लू-1 के रूप में वादी मुकदमा एस0आई0 चन्द्रेश्वर प्रसाद को परीक्षित कराया गया है जिसमें अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि सोहरामऊ नहर कोठी पुलिया के पास सड़क पर करीब साढ़े तीन बजे रात बुद्धीलाल सिचाई कर्मचारी व निधई तथा बिल्लेश्वर कर्मचारी नहर सिचाई विभाग मेरे पास दौड़ते हुए आये और बताया कि नहर कोठी एरिया में चोर घुस आये हैं और लोहे की रखी पुरानी पाइप उठाकर चोरी करने की फिराक में हैं। अपनी प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि घटना वाले दिन 8-9 बजे के करीब रवानगी की थी। इसका इन्द्राज जी0डी0 में है। फर्द में नहीं किया गया था। नहर विभाग के लोगों ने (कर्मचारियों) कोई प्रार्थनापत्र चोरी के विषय में नहीं दिया था। साढ़े तीन बजे रात में जब गस्त मौका वापस घर जा रहे थे तब नहर विभाग के कर्मचारियों ने चोरी के संदर्भ में

M

मौखिक सूचना दिया था। मुझे कां० वशिष्ठ जी पाण्डेय व अनिल कुमार वर्मा साढ़े तीन बजे के बाद मिले थे। साढ़े तीन बजे के 10-15 मिनट बाद मिले थे। कां० दधीच कुमार रस्तोगी व निदेश कुमार वर्मा साढ़े तीन बजे के बाद 15 मिनट के अन्तराल में मिले थे। दबिश देने के पूर्व पुलिस कर्मियों में मेरे अलावा कां० रामआसरे, कां० अनिल कुमार मिश्रा, कां० वशिष्ठ पाण्डेय, कां० अनिल कुमार वर्मा, कां० दधीच कुमार रस्तोगी और कां० दिनेश कुमार मेरे साथ थे। पहली पार्टी में कां० रामआसरे, कां० अनिल कुमार मिश्रा, कां० वशिष्ठ व गवाह बुद्धीलाल थे। यह पार्टी जहाँ पर सूचना मिली थी वहीं पर पार्टी बनाने की कार्यवाही हुई थी। वहाँ से घटनास्थल लगभग 300 गज की दूरी पर पश्चिम, दक्षिण दिशा में है। लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर 24 घण्टे व्यक्तियों का आवागमन बना रहता है। दबिश देने के पूर्व जनता का कोई गवाह नहर कर्मचारियों के अलावा नहीं मिला। घटनास्थल से गांव दूर है इसलिये सूचना को ध्यान में रखते हुए गांव से गवाह लाना सम्भव नहीं हो सका। आगे इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि बरामदमाल अदालत के समक्ष नहीं है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी 10 मिनट के अन्दर हो गई थी। फर्द टार्च की रोशनी में लिखी गई थी। इस बात का जिक्र फर्द में कहीं नहीं लिखा पाया था। लेकिन विवेचक को बता दिया था। फर्द लगभग 6:5.30 बजे लिखी गई होगी। माल सील करने के बाद फर्द लिखी गई। घटनास्थल से थाने की दूसरी करीब एक किलोमीटर होगी। मुल्जिमान एवं ट्रक को लेकर 7.55 बजे थाने पर पहुंचे थे। फर्द लिखने के बाद तथा थाने पहुंचने में जो समय लगा, वह माल मुल्जिमान तथा ट्रक को जंगल से सड़क पर लाने में लगा। फर्द बरामदगी पर मेरे हस्ताक्षर के नीचे दि०-15.08.94 लिखा है और दिनांक के नीचे 7.35 ए० एम० का समय अंकित है। समय में 35 के तीन पर ओवर राइटिंग है जो फर्द की कार्यवाही का अन्तिम समय है। फर्द लिखने की सम्पूर्ण कार्यवाही 7.35 बजे समाप्त हुई।

वादी मुकदमा ने अभियुक्तगण द्वारा नहर विभाग के पाइप चोरी होने की सूचना सिचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त होने का कथन किया है। अभियोजन द्वारा नहर सिचाई विभाग के कर्मचारी बुद्धीलाल को पी० डब्लू-3 के रूप में परीक्षित कराया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दि०-14.08.94 को मैं नहर विभाग में धावक के पद पर कार्यरत था। दि०-14/15.08.94 की रात में नहर कोठी सोहरामऊ में लोहे के पाइप चोरी हो गये थे जिसमें कुछ लोग पकड़े गये थे। लेकिन मेरे सामने किसी व्यक्ति से कोई बरामदगी नहीं हुई। दरोगा जी ने एक कागज में पर हस्ताक्षर बनवा लिये थे। जिसमें क्या लिखा था मुझे नहीं मालूम। जिस समय की बरामदगी बतायी जा रही है उसके एक दिन पहले मैं डाक लेकर मौरावा गया था। मुल्जिमान हाजिर अदालत श्रीपाल, अमरपाल, सुरेश, नरेन्द्र उर्फ बराती, कल्लू नरेश, इजहार के पास से मेरे सामने कोई बरामदगी नहीं हुई थी। अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि दरोगा जी ने जब मेरे हस्ताक्षर बनवाये थे उस समय कागज पर कुछ भी नहीं लिखा था। यह सब बाद में कैसे लिख लिया,

A

मुझे नहीं मालूम। इस साक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि यह कहना सही है कि नहर कोठी सोहरामऊ से लोहे के पाइप की चोरी हुई थी और उसमें कुछ माल बरामद भी हुआ था। किसके पास से माल बरामद हुआ, मैं नहीं बता सकता।

वादी मुकदमा एस0आई0 चन्द्रेश्वर प्रसाद द्वारा चोरी की सूचना बुद्धीलाल, निधई तथा बिल्लेश्वर जो सिचाई विभाग के कर्मचारी हैं, के द्वारा दिया जाना कहा गया है तथा अभियुक्तगण को चोरी करते हुए व सामान ले जाते हुए पकड़े जाने की साक्ष्य दिया है। जबकि जिस बुद्धीलाल की सूचना पर वादी द्वारा अभियुक्तगणों को चोरी करते हुए पकड़ने का कथन किया गया है उसने अपनी साक्ष्य में चोरी गये सामान की बात तो स्वीकार की है परन्तु अभियुक्तगण द्वारा लोहे के पाइप चोरी किये जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है तथा वादी मुकदमा को चोरी की सूचना देने के सम्बन्ध में भी कोई कथन नहीं किया है। साक्षी पी0डब्लू-3 बुद्धीलाल फर्द बरामदगी का भी गवाह है परन्तु अपनी साक्ष्य में उसके द्वारा कहा गया है कि दरोगा जी ने एक कागज पर दस्तखत बनवा लिये थे जिसमें क्या लिखा था, मुझे नहीं मालूम। जिरह में इस साक्षी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जब दरोगा जी ने हस्ताक्षर बनाये थे उस समय कागज पर कुछ नहीं लिखा था। इस प्रकार उपरोक्त दोनों साक्षियों के साक्ष्य के विश्लेषण से वादी मुकदमा एस0आई0 चन्द्रेश्वर प्रसाद के साक्ष्य का समर्थन सूचनाकर्ता के साक्ष्य से नहीं हो रहा है।

साक्षी पी0डब्लू-1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण को पकड़ने हेतु एवं पार्टी बनाये जाने का कथन किया है परन्तु पुलिस पार्टी में शामिल पुलिस कर्मचारियों में से किसी को भी अभियोजन द्वारा साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। साक्षी पी0डब्लू-1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में पृष्ठ 3 पर कथन किया है कि मुल्जिमान सुरेश के पहने बूशर्ट व बनियान के नीचे से एक अदद लोहा काटने वाली छोटी ब्लेड तथा नरेन्द्र उर्फ बराती लोध के पहने शर्ट व बनियान के बीच से एक अदद हेक्सा ब्लेड व तीन अदद ब्लेड बड़ी बरामद हुई। उपरोक्त दोनों मुल्जिमान के कब्जे से कन्धे पर लिए एक अदद लोहे की पाइप 4 होल की लम्बाई करीब 10 फुट, ट्रक चालक इजहार व कन्डक्टर सब्बे के कब्जे से ट्रक में लदा 3 अदद लोहे की पाइप जिसमें 6 इंच होल के दो पाइप लम्बाई 10-10 फुट व 4 इंच होल का एक पाइप लम्बाई 10 फुट तथा अभियुक्त मंगलू, श्रीपाल व अमरपाल के कब्जे से हाथ में पकड़ा एक लोहे का पाइप 4 इंच होल का लम्बाई करीब 20 फुट का बरामद हुआ। परन्तु बरामद माल जिसके सम्बन्ध में फर्द बरामदगी बनाई गई है, उक्त माल अभियोजन द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कर साबित नहीं कराया गया है। साक्षी पी0डब्लू-1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि बरामदशुदा माल आज अदालत के समक्ष नहीं है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी 10 मिनट के अन्दर हो गई थी। फर्द टार्च की रोशनी में लिखी गई थी। माल मुकदमा को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह साबित नहीं हो रहा है कि बरामदशुदा माल अभियुक्तगण के पास से ही बरामद हुआ था अथवा नहीं।

अभियोजन का यह दायित्व था कि वह बरामद माल की शिनाख्त न्यायालय के समक्ष कराये। परन्तु बरामद माल को साबित न कराये जाने से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जिस माल के सम्बन्ध में फर्द बनायी गयी है वह माल चोरी का था और अभियुक्तगण के पास से ही बरामद हुआ था। वादी मुकदमा द्वारा यह कथन किया गया है कि फर्द टार्च की रोशनी में तैयार की गई थी परन्तु ऐसा कोई इन्द्राज इनके द्वारा फर्द बरामदगी में नहीं किया गया है। फर्द को लगभग 5-5.30 बजे लिखे जाने का कथन किया है जबकि यह घटना दि०-15.08.94 की बतायी जा रही है। अगस्त के माह में 5-5.30 बजे पर्याप्त रोशनी होती है। अतः फर्द का टार्च की रोशनी में लिखे जाने का कथन किया गया है कि मुल्जिमान व ट्रक को लेकर 7.55 पर पहुंचे थे जबकि थाना घटनास्थल से मात्र एक किलोमीटर दूर था और फर्द लिखे जाने की कार्यवाही 7.35 मिनट पर पूर्ण हो चुकी थी। अभियोजन की ओर से विवेचक को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे घटनास्थल एवं अन्य प्रपत्र साबित नहीं हो रहे हैं। जनता के किसी गवाह को वादी मुकदमा एवं विवेचक द्वारा साक्षी नहीं बनाया गया है। जिस साक्षी द्वारा चोरी की सूचना देने का कथन किया गया है उस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने से इंकार किया है तथा अभियुक्तगण को चोरी करते हुए व चोरी का माल ले जाते हुए देखने से भी इंकार किया है जिससे वादी मुकदमा के कथन संदेह से परे साबित नहीं हो रहे हैं।

साक्षी पी०डब्लू-2 विशम्भर नाथ, एफ०आई०आर० लेखकर हैं जिसके बयान से घटना को किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिल रहा है। अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा के अतिरिक्त किसी ऐसे अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है जिसने अभियुक्तगण को चोरी करते हुए व चोरी का सामन ले जाते हुए देखा हो। बरामद माल को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि जो माल अभियुक्तगण के पास से प्रश्नगत दिनांक व समय पर बरामद हुआ था वह चोरी का था एवं उसी वस्तु की चोरी करते हुए अभियुक्तगण को वादी मुकदमा द्वारा पकड़ा गया हो। अभियोजन द्वारा न तो बरामद माल को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, न ही नमूना मोहर को साबित कराया गया है। बरामद किये गये सामानों को सर्वसील मोहर कर नमूना मोहर इस आशय से बनायी जाती है कि जब भी उस सामान को खोला जाये, यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रस्तुत किया गया माल मौके पर ही सर्वसील मोहर किया गया था। न्यायालय के समक्ष सील मोहर माल प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह साबित नहीं हो रहा है कि जो मौके पर पकड़ा गया, वह चोरी का ही माल था अथवा नहीं।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष साबित करने में सफल नहीं रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा प्रश्नगत लोहे के पाई चोरी के हैं। व उनके द्वारा उक्त चोरी किये गये माल को ट्रक पर लादकर ले जाया जा रहा था। किसी स्वतंत्र

साक्षी के साक्ष्य से वादी मुकदमा के साक्ष्य को सिद्ध नहीं कराया गया है। न तो अभियोजन द्वारा माल मुकदमा प्रस्तुत किया गया है और न ही किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित कराया गया है। इस प्रकार अभियोजन इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि प्रश्नगत स्थान पर अभियुक्तगण श्रीपाल, अमरपाल, सुरेश, नरेन्द्र उर्फ बराती लोध, इजहारू, कल्लू व नरेश के पास से नहर सिचाई विभाग के लोहे के पाइप चोरी किये गये थे तथा उक्त चोरी के पाइप अभियुक्तगण के पास से बरामद हुए।

अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः उक्त परिस्थिति में अभियुक्तगण श्रीपाल, अमरपाल, सुरेश, नरेन्द्र उर्फ बराती लोध, इजहारू, कल्लू व नरेश को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण श्रीपाल, अमरपाल, सुरेश, नरेन्द्र उर्फ बराती लोध, इजहारू, कल्लू व नरेश को आरोप अन्तर्गत धारा-379 व 411 भा0द0सं0 में संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोष मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बंधपत्र निरस्त तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों के भार से उन्मोचित किये जाते हैं।

दिनांक-20.04.2019

(मीनाक्षी सोनकर)

द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उन्नाव।

उपर्युक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक-20.04.2019

(मीनाक्षी सोनकर)

द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उन्नाव।

नरेश

इजहारू
बराती

कल्लू

अमरपाल

सुरेश श्रीपाल